रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0 एम0/13-14/96.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 6 अप्रैल, 1996/17 चैत्र, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग
विधायी एंव राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 30 दिसम्बर, 1995

संख्या एल0एल0 आर(राजभाषा)(बी) 16-6/95.—हिमाचल प्रदेश लैण्ड रेविन्यू (अमैन्डमैंट) ऐक्ट, 1971 (1971 का 19) के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख 20-12-1995

के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1971

(1971 का 19)

(राज्यपाल द्वारा 5 नवम्बर, 1971 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) अधिनियम, 1971 है।

धारा 5 का संशोधन।

2. हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में,--

(i) उप-धारा (1) में "ग्राम्य उपकरों के (village cesses) प्रशासन, वसूली तथा अभिलेख (रिकार्ड)" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात :--

"अभिलेख, वसूली और ग्राम्य उपकरों के प्रशासन और धारा 163 के अधीन अधिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने";

(ii) विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:--

"स्पष्टीकरण-2.--इस धारा और धारा 163 के लिए "भूमि" से सभी प्रकार की भूमि, (जिसके अन्तर्गत वन भूमि, घासनी भूमि, खेती योग्य या खेती के अयोग्य बंजर भूमि और खड्डयतर भूमि भी है) अभिप्रेत है चाहे वह भू-राजस्व के लिए निर्धारित हो या नहीं, किसी प्रयोजन, चाहे खेती या अन्यथा उपयोग की गई हो या सम्भाव्यतः उपयोग की जानी है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है--

(क) कोई भवन, चाहे निर्मित है या निर्माणाधीन है और उसका कोई भाग ; और

(ख) ऐसा भवन या उसके भाग से संलग्न कोई बागीचा, मैदान और उप-गृह, यदि कोई हो।"

धारा 163 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 163 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात :--

"163. **भूमि के अधिक्रमण की रोकथाम**--(1) जहां शासन की भूमि का या ऐसी भूमि का जो ग्राम स्थान के लिए या उसके सहभागियों के सामान्य प्रयोजन के

लिए आरक्षित की गई है, किसी सहभागी या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रयोजन के लिए जिसके अन्तर्गत भवन या संरचना का सन्निर्माण भी है का अधिक्रमण किया गया है, वहां--

(क) **माल अधिकारी**, स्वप्रेरणा से या किसी अन्य सहभागी के आवेदन पर अधिक्रमण करने वाले व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिक्रमण-कर्ता कहा गया है) ऐसी भूमि से बेदखल कर सकेगा और धारा 23 में उल्लिखित रीति में उद्घोषित आदेश द्वारा, उस में अधिक्रमण की पुनरावृत्ति प्रतिसिद्ध कर सकेगा :

परन्तु इस खण्ड के अधीन किसी अधिक्रमण-कर्ता को बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक उसे बेदखली के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो;

(ख) **माल अधिकारी**, नुकसानी के निर्धारण के ऐसे सिद्धान्तों जो विहित किए जाएं, को ध्यान में रखते हुए, ऐसे अधिक्रमण के कारण हुई नुकसानी का अवधारणा कर सकेगा और आदेश द्वारा अधिक्रमण-कर्ता से, ऐसी अवधि में और ऐसी किस्तों में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, नुकसानी के संदाय की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) यदि अधिक्रमण-कर्ता ने अधिक्रमण की गई भूमि पर किसी भवन या अन्य संरचना का सन्निर्माण किया है या फसल उगाई है अथवा वृक्षारोपण किया है तो माल अधिकारी, उसकी बेदखली का आदेश करते समय, ऐसा भवन या अन्य संरचना को गिराने और ऐसी भूमि पर किसी उत्पाद या अन्य सामग्री का अधिगृहत करने और उसे सार्वजनिक रूप से नीलाम करने और उसके विक्रय आगम को सरकारी कोष में जमा कराने के लिए, सक्षम होगा ; और

(घ) **माल अधिकारी**, प्रथम अधिक्रमण की स्थिति में, अधिक्रमण-कर्ता पर प्रति बीघा या उसके भाग के लिए पांच सौ रुपये तक का जुर्माना और जहां अधिक्रमण की पुनरावृति की गई हो, वहां प्रति बीघा या उसके भाग के लिए एक हजार रुपये तक का ऐसे प्रत्येक पश्चातवर्ती अधिक्रमण के लिए जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन नुकसानी के रूप में या उस उप-धारा के खण्ड (घ) के अधीन जुर्माने के रूप में संदेय कोई रकम उसी रीति में वसूल की जा सकेगी जिस में भू-राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है।

(3) माल अधिकारी या इस धारा के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध इसके उपबन्धों या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, वह व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा नियत अवधि के लिए भूमि पट्टे पर दी गई है और जो अवधि के अवसान के पश्चात् भी भूमि पर कब्जा चालू रखता है, अधिक्रमण-कर्ता समझा जाएगा, जब तक ऐसा व्यक्ति पट्टे की बढ़ौतरी या इसे नवीकृत नहीं करवा लेता है।"

धारा 171 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 171 की उप-धारा (2) में, खण्ड (24) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(25) धारा 163 के अधीन किसी व्यक्ति की बेदखली या उस धारा की उप-धारा (1) के अधीन संदेय नुकसानी या जुर्माना।"

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।